



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220037
CG-DL-E-19062020-220037

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1718]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942

No. 1718]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का.आ. 1934(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.4187 (अ) तारीख 20.11.2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.361 के कि.मी. 286.600 कि.मी.से 320.580 कि.मी. एवं अधिसूचना संख्या का.आ.2304 (अ) तारीख 01.07.2019 कि.मी. 207.200 से 262.600 कि.मी.तक के भूखंड (वर्धा-यवतमाल-वारंगगाफाटा खंड), तक के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 28.02.2020 और 19.07.2019 को "दैनिक लोकमत" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 (घ) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के कि.मी.286.600 से कि.मी.320.580 एवं कि. मी. 207.200 से 262.600 तक (वर्धा-यवतमाल-वारंगा फाटा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: यावतमाळ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: महागांव				
	गांव का नाम: महागाओं				
1	189,190	निजी	कृषि	0.06	अनिल भगवान नरवाडे गिरजा भगवान नरवाडे गजानन भगवान नरवाडे अनिल भगवान नरवाडे दुर्गा रामदास कदम रामकृष्णा जयराम नरवाडे सुभाष वामनराव चौधरी मनोज वामनराव चौधरी (१८९, १९०)
2	218/3	निजी	कृषि	0.29	विलास धोडिंबा नरवाडे (२१८/३)
	तालुक का नाम: उमरखेड				
	गांव का नाम: मार्लेगांव				
1	68	निजी	कृषि	0.11	अमीरखाँ मुस्तफाखाँ पठाण मुस्तफाखाँ मनसबखाँ पठाण शांताबाई किशनराव गाडे पंचफुला जयराम गावंडे (६८)

गांव का नाम: उमरखेड					
2	130/1/2	निजी	कृषि	0.08	गजानन नारायण हिंगमीरे (१३०/१/२)
3	20/5	निजी	एग्रीकल्चर	0.21	दत्ता संपति देवकर (२०/५)
4	312/3	निजी	कृषि	0.53	नजमुनिसा बेगम अब्दुल गफारगफार (३१२/३/१४) बालकृष्णा लक्ष्मण अलाट (३१२/३/१५) बालकृष्णा लक्ष्मण अलाट (३१२/३/१६) नरेद्र रामप्रसादजी चितलांगे(३१२/३/२३) श्याम आनंदराव गायकवाड(३१२/३/२४) श्याम आनंदराव गायकवाड(३१२/३/२५)बालाली संपतराव शिंदे(३१२/३/२६)अहमद खॉ गुलाब खॉ (३१२/३/२७) सुशमा नरेद्र चितलांगे (३१२/३/२८) अकक्षय राजेद्र बचाटे व इतर (३१२/३/२९) प्रफुल सुधाकर खरे (३१२/३/३०) आशिवनी देविदास बलखाने (३१२/३/३१) गोपाळराव हरीभाऊ बोकन (३१२/३/३२) इस्माईल खॉ फरीद खॉ (३१२/३/३३) भाग्यश्री भारत कुलकर्णी (३१२/३/३४) अविनाश गोपाळराव गंजवाले (३१२/३/३५) सविता अनिरुद्ध गंजवाले (३१२/३/३६) बालाजी हनुमानदास लठठा (३१२/३/३७) रस्तयाचे क्षेत्र मोकळी जागा (३१२/३)
5	312/4	निजी	कृषि	0.43	वसंत गंगाधर पांडे (३१२/४/३) वसंत गंगाधर पांडे (३१२/४/४) शिवाजी मारुतराव गंगात्रे (३१२/४/५) शिवाजी मारुतराव गंगात्रे (३१२/४/६) अनिल विलासराव टिंगरे (३१२/४/७) रमेश गंगाराम वाघमारे (३१२/४/८) सुभाष अंबादास चेके (३१२/४/९) सुभाष अंबादास चेके (३१२/४/१०) अल्का वसंतराव पटवे (३१२/४/११) फेरोज खॉ

					आजाद खॉ (३१२/४/१२) जरिना बेगम फेरोज खॉ (३१२/४/१३) गंगाधर श्रीराम चांदीवाले (३१२/४/१४) रस्ता (३१२/४) (३१२/४)
6	पांदण रस्ता	सरकारी	अकृषि	0.04	पांदण रस्ता (पांदण रस्ता)
			कुल	1.75	

[फा. सं. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020

S.O.1934(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 4187 (E)**, dated **20.11.2019**, and **S.O. No. 2304 (E)** dated **01.07.2019** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from **Km. 286.600 to Km. 320.580** and **Km. 207.200 to 262.600** (Wardha-Yavatmal-Waranga Phata Section) in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "**Dainik Lokmat**" and "**Dainik Bhaskar**" both dated **28.02.2020**, and **19.07.2019** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 286.600 to Km. 320.580 and Km.207.200 to Km.262.600 (Wardha-Yavatmal-Waranga Phata Section)
National Highway No. 361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: YAVATMAL		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mahagaon				

	Viilage: Mahagaon				
1	189,190	Private	Agricultural	0.06	Anil Bhagwan Narwade Girja Bhagwan Narwadi Gajanan Bhagwan Narwade Anil Bhagwan Narwade Durga Ramdas Kadam Ramkurshna Jairam Narwade Subhash Wamnrao Chaudhari Manoj Wamnrao Chaudhari 189,190
2	218/3	Private	Agricultural	0.29	Villas Dhondiba Narwade 218/3
	Taluk: Umerkhed				
	Viilage: Marlegaon				
1	68	Private	Agricultural	0.11	Amirkha Mustafakha Pathan Mustafakha Mansab Kha Pathan Shantabai Kishanrao Gade Panchphula Jairam Gavande 68
	Viilage: Umarkhed				
2	130/1/2	Private	Agricultural	0.08	Gajanan Narayan Hingmire 130/1/2
3	20/5	Private	Agriculture	0.21	Datta Sampati Devkar 20/5
4	312/3	Private	Agricultural	0.53	Najmunisa Begum Abdul Gafar (312/3/14) Balkurshna Lakshman Alat (312/3/15) Balkurshna Lakshman Alat 312/3/16) Narandra Ramparsadji Chitlange (312/3/23) Shyam Anandrao Gaikwad (312/3/24) Shyam Anandrao Gaikwad (312/3/25) Balaji Sampatrao Shinde (312/3/26) Ahmad Kha Gulab Kha (312/3/27) Sushma Narandra Chitlange (312/3/28) Akshay Rajendra Bachate & Others (312/3/29) Parful Sudhakar Khare (312/3/30) Ashvini Devidas Balamkhane (312/3/31) Gopalrao Haribhau Bokan (312/3/32) Ismail Kha Farid Kha (312/3/33) Bhagyashri Bharat Kulkarni (312/3/34) Avinash Gopalrao Ganjiwale (312/3/35) Savita Anirudh Ganjiwale (312/3/36) Balaji Hanumandasji Latha (312/3/37) Road Area Open Space 312/3
5	312/4	Private	Agricultural	0.43	Vasant Gangadhar Pande (312/4/3) Vasant Gangadhar Pande (312/4/4) Shivaji Marotrao Gangatre (312/4/5) Shivaji Marotrao Gangatre (312/4/6) Anil Vilasrao Tingre (312/4/7) Ramesh Gangaram Waghmare (312/4/8) Subhash Ambadas Cheke (312/4/9) Subhash Ambadas Cheke (312/4/10) Alka Vasantrao Patve (312/4/11) Feroz Kha Azad Kha Pathan (312/4/12) Jarina Begum Feroz Kha Pathan (312/4/13) Gangadhar Shriram Chandiware (312/4/14) Road 312/4

					312/4
6	Pandan Road	Government	Non Agricultural	0.04	Pandan Road Pandan Road
			TOTAL	1.75	

[F. No. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.